संख्या–1257 / 2022–सीएक्स–3

प्रेषक,

अनिल कुमार,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

रजिस्ट्रार,
मा0 नेशनल ग्रीन ट्रिबुनल,
नई दिल्ली।

गृह (गोपन) अनुभाग–3 **लखनऊः दिनांकः 23, अगस्त, 2022**

विषयः–मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्याः 262/2022 में पारित आदेश दिनांक 10.05.2022 के अनुपालन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्याः 262/2022 में पारित आदेश दिनांक 10.05.2022 के अनुपालन के संबंध में उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से उत्तर तैयार कर प्रेषित किया जा रहा है। कृपया मा0 एन0जी0टी0 में दाखिल कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः यथोक्त।

भवदीय,

(अनिल कुमार)
संयुक्त सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि–श्री प्रदीप मिश्रा, एडवोकेट, मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली को अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, उ0प्र0 शासन की ओर से हस्ताक्षरित उत्तर प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि मा0 एन0जी0टी0 में प्रभावी पैरवी करने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार)
संयुक्त सचिव।

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, PRINCIPAL BENCH

ORIGINAL APPLICATION NO. 262 OF 2022

IN THE MATTER OF:
SANJAY SHARMA ..... APPLICANT

VERSUS

UNION OF INDIA & ORS. ..... RESPONDENTS

REPORT ON BEHALF OF RESPONDENT NO. 4, STATE OF U.P.

1. The abovenoted matter came up for hearing on 10.05.2022 when this Hon'ble Tribunal has called a report from Additional Chief Secretary (Home), and Additional Chief Secretary/Principal Secretary (Health) Government of U.P. on the following points:

(i) How many dead bodies were documented/found (a) to have been floating in river Ganga and (b) to have been buried on the river bed in the State of Uttar Pradesh and Bihar before Covid 19 in the years 2018 and 2019 and after Covid 19 in the years 2020, 2021 and till 31.03.2022?

(ii) In how many cases financial support was extended by the Governments of Uttar Pradesh and Bihar respectively for cremation funeral or burial of the dead bodies?

(iii) What steps were taken for creating public awareness and promoting public participation for preventing floating of dead bodies in river Ganga or their burial in or near the river bed?

(iv) Whether any criminal case was registered and any prosecution was launched against any person for violation of guidelines for management of dead bodies covid infected or otherwise?

(v) Whether there was any violation of environmental norms and, if so, the details of the remedial measures taken may be furnished?

2. The report in respect of above issues on behalf of State of U.P. are as follows:

(i) How many dead bodies were documented/found (a) to have been floating in river Ganga and (b) to have been buried on the river bed in the State of Uttar Pradesh and Bihar before Covid 19 in the years 2018 and 2019 and after Covid 19 in the years 2020, 2021 and till 31.03.2022?

It is submitted that in the year 2018, 43 dead bodies, in the year 2019, 39 dead bodies, in the year 2020, 50 dead bodies, in the year 2021, 87 dead bodies and in the year 2022 upto 31.03.2022, 15 dead bodies found floating in river Ganga in District Badaun, Sahjahanpur, Hapur, Rae Bareili, Varanasi Rural, Chandauli, Gazipur, Ballia, Bhadoi and Varanasi Comissionarate. Details of the same district/commissonaratewise as informed by Inspector General of Police (Law & Order), U.P. vide letter No. DG-8-246(21)2022 NGT dated 25.07.2022 are enclosed as **Annexure-1**.

In the year 2019, 3 dead bodies in District Hapur, in the year 2021, 16 dead bodies in District Gazipur, 11 dead bodies in District Ballia and 5 in district Bhadoi have been found to have been buried in river bed of Ganga. In 2022 upto 31.03.2022, 1 dead body has been found buried in the river bed of Ganga in District Hapur.

The details district/commissionaratewise as informed by Inspector General of Police (Law & Order), U.P. vide letter No. DG-8-246(21)2022 NGT dated 25.07.2022 are enclosed as **Annexure-2**.

(ii) In how many cases financial support was extended by the Governments of Uttar Pradesh and Bihar respectively for cremation funeral or burial of the dead bodies?

The information regarding the financial support extended to the family of deceased during Covid 19 by the Gram Panchayat are uploaded on the Election Portal of the Department in Districts. As per the information uploaded against 1230 cases, financial help has been extended for cremation of 614 dead bodies. Additional Chief Secretary, Panchayati Raj Department, Government of U.P. vide letter No. UO-23/33-3-2022-UO-3-2021 dated 29.04.2021 has issued detailed guidelines for last rites of the persons died due to infection of Covid-19 in various Gram Panchayats. Pursuant to the said letter, details of the financial helps extended to the family of eligible persons districtwise is being enclosed herewith and marked as **Annexure-3.**

(iii) What steps were taken for creating public awareness and promoting public participation for preventing floating of dead bodies in river Ganga or their burial in or near the river bed?

In the interest of environment guidelines for last rites of the dead bodies of the persons died due to Covid-19 in urban bodies as per customs like cremation or burial and not to give Jal Samadhi in any condition have been issued vide Government Order No. 662/9-7-2021-11(Ja)/2022TC-1 dated 14.05.2021 were issued by Nagar Vikas Section-7. For implementation as monitoring of the said in all the Nagar Nigams of the State, Committees have been constituted in the chairmanship of Mayor and all Nagar Palikas/Nagar Panchayat, Committees have been constituted in the chairmanship of Chairman, Nagar Palika Parishad/Nagar Panchayat. True copy of Government Order dated 14.05.2021 issued by Nagar Vikas, Section-7 is enclosed as **Annexure-4**.

Besides this, to prevent the floating of dead bodies in river Ganga and Yamuna in Uttar Pradesh during Covid-19 pandemic, Additional Chief Secretary (Home) vide letter No. 1004/ACS/2021 dated 24.05.2021 has directed the Director General of Police, U.P. to deploy all Jal Police companies of PAC and SDRF teams on the banks of river Ganga, Yamuna and their tributaries to prevent the throwing of dead bodies without cremation in these rivers. Photocopy of the letter dated 14.05.2021 of Chief Secretary, Home Department, Government of U.P. is being enclosed herewith and marked as **Annexure-5.**

(iv) Whether any criminal case was registered and any prosecution was launched against any person for violation of guidelines for management of dead bodies covid infected or otherwise?

For violation of the guidelines for management of Covid infected or other dead bodies in 2020, 3 cases have been registered in Commissionarate Varanasi. In 2021, 8 cases have been registered and in 2022 till 31.03.2022 two cases have been registered. Besides this, two cases have been registered in the year 2018. The districtwise details are being enclosed as **Annexure-6**.

(v) Whether there was any violation of environmental norms and, if so, the details of the remedial measures taken may be furnished?

During treatment and prevention of Covid-19, no violation of the standard of environment have been violated. In this regard the letter dated 28.07.2022 issued by Member Secretary, U.P. Pollution Control Board is enclosed as **Annexure-7.**

As per the report received from the Health Department action plan for treatment and prevention of Covid-19 pandemic in the State is enclosed as **Annexure-8.**

The Director General, Family Welfare, U.P., Lucknow has informed that out of total 169902000, total 167076574 beneficiaries above the age of 12 years have been given both dozes of vaccine in the State. True copy of the letter dated 22.08.2022 of Director General, Family Welfare, U.P., Lucknow is enclosed as **Annexure-9.**

Director General, Medical & Health Services, U.P. vide letter dated 22.08.2012 has informed about the action plan for treatment and prevention of Covid-19 pandemic prepared by the State. True copy of the same is enclosed as **Annexure-10**.

The abovementioned report is being submitted for kind consideration of this Hon'ble Tribunal.

PLACE : LUCKNOW
DATED:

(AWANISH KUMAR AWASTHI)
Additional Chief Secretary (Home),
Government of Uttar Pradesh.

माननीय एन0जी0टी0 प्रकरण / अति महत्वपूर्ण / ई–मेल

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

टावर–2 / सप्तम तल,पुलिस भवन(सिग्नेचर बिल्डिंग),गोमतीनगर विस्तार,लखनऊ।

संख्याःडीजी–आठ–246(21)2022(NGT) दिनांकःलखनऊःजुलाई 5,2022

सेवा में,

विशेष सचिव,
गृह (गोपन) अनुभाग–3,
उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।

ANNEXURE-I

विषयः मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्याः 262 / 2022 में पारित आदेश दिनांक 10.05.2022 के अनुपालन के संबंध में।

....

उपर्युक्त विषयक कृपया गृह (गोपन) अनुभाग–3 के पत्र संख्याः791 / 2022–सी0एक्स0–3, दिनांक 26.05.2022 के संदर्भ में शासन के पत्र संख्याः1015 / 2022–सी0एक्स0–3, दिनांकित 30.06.2022 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो माननीय एन0जी0टी0, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या–262 / 2022 में पारित आदेश दिनांक 10.05.2022 के कार्यकारी अंश प्रस्तर–7 के बिन्दुओं पर तथ्यात्मक आख्या उपलब्ध कराये जाने विषयक है।

2– निदेशानुसार जोन / कमिश्नरेट से प्राप्त आख्यानुसार प्रकरण में कानून एवं व्यवस्था शाखा से वॉछित सूचना / आख्या निम्नवत् प्रेषित हैः–

1. प्रदेश के गंगा नदी में "वर्ष–2018 में 43, वर्ष–2019 में 39, वर्ष–2020 में 50, वर्ष–2021 में 87 तथा वर्ष–2022 में (दिनांक 31.03.2022 तक) 15 तैरते शवों का दस्तावेजीकरण क्रमशःजनपद–बदायूं / शाहजहॉपुर / हापुड़ / रायबरेली / वाराणसी ग्रामीण / चंदौली / गाजीपुर / बलिया / भदोही एवं वाराणसी कमिश्नरेट में होना पाया गया है," का विवरण प्रारूप–1 में संलग्न है।

2. प्रदेश में गंगा नदी के तल पर वर्ष–2019 में 03, वर्ष–2021 में 32 व वर्ष–2022 में (दिनांक 31.03.2022 तक) 01 शव का दस्तावेजीकरण क्रमशः जनपद–हापुड़ / गाजीपुर / बलिया एवं भदोही में होना पाया गया है, का विवरण **प्रारूप–1A** में संलग्न है।

3. कोविड संक्रमित या अन्य शवों के प्रबंधन के दिशा–निर्देशों के उल्लंघन अन्तर्गत वर्ष–2020 में कमिश्नरेट वाराणसी में 01 एवं वर्ष–2021 में जनपद–प्रतापगढ़ में 01 घटना हुई तथा प्रदेश में वर्ष–2018 में 02, वर्ष–2020 में 03, वर्ष–2021 में 08 एवं वर्ष–2022 में (दिनांक 31.03.2022 तक) 02 अभियोग क्रमशः जनपद–मथुरा / एटा / प्रतापगढ़ एवं वाराणसी कमिश्नरेट में पंजीकृत हुए हैं, का विवरण प्रारूप–2 में संलग्न है।

संलग्नकःयथोपरि।

(डा0 संजीव गुप्ता)
पुलिस महानिरीक्षक, कानून एवं व्यवस्था,
उत्तर प्रदेश।

PRAROOP-1

S.NO.	ZONE	DISTT/ COMM	HOW MANY DEAD BODIES WERE DOCUMENTED/FOUND TO HAVE BEEN FLOATING IN RIVER GANGA .					ANY REMARKABLE ACTION
			2018	2019	2020	2021	2022 (TILL 31-03-2022)	
1	Agra	1-Mathura	-	- -	-	-	-	-
		2- Etha	-	-	-	-	-	-
2	Bareilly	3-Budaun	-	-	-	02	01	Postmartem of Dead Bodies was Done.
		4-Shanhjahanpur	01	01	04	-	-	Postmartem of Dead Bodies was Done
3	Merrut	5-Hapur	01	04	02	04	02	-
4	Lucknow	6-Raebareli	-	01	03	01	-	Postmartem of Dead Bodies was Done.
5	PRAYGRAJ	7- Pratapgarh	-	-	-	-	-	-
6	Varanasi	8-Varanasi Rural	01	03	05	03	01	-
		9-Chandaulli	-	-	-	08	-	-
		10-Ghazipur	-	01	-	16	-	-
		11-Balliya	-	-	-	11	-	-
		12-Bhadohi	-	-	-	05	-	-
7	13-Varanasi	Commissionerate	40	29	36	37	11	-
TOTAL			43	39	50	87	15	-

8

PRAROOP-1A

ANNEXURE-2

S.NO.	ZONE	DISTT/ COMM	TO HAVE BURIED ON THE RIVER BED.					ANY REMARKABLE ACTION
			2018	2019	2020	2021	2022 (TILL 31-03-2022)	
1	AGRA	1-Mathura	-	-	-	-	-	-
		2-Etha	-	-	-	-	-	-
2	Bareilly	3-Budaun	-	-	-	-	-	-
		4-shanhjahanpur	-	-	-	-	-	-
3	Merrut	5-Hapur	-	03	-	-	01	-
4	Lucknow	6-Raebareli	-	-	-	-	-	-
5	PRAYGRAJ	7- Pratapgarh	-	-	-	-	-	-
6	Varanasi	8-Varanasi Rural	-	-	-	-	-	-
		9-Chandaulli	-	-	-	-	-	-
		10-Ghazipur	-	-	-	16		-
		11-Balliya	-	-	-	11	-	-
		12-Badhohi	-	-	-	05	-	-
7	13-Varanasi Commissionerate		-	-	-	-	-	-
TOTAL			-	03	-	32	01	-

सं०आ०-2

ANNEXURE-3

संख्या: U023 /33-3-2021-यू.ओ.-23/2021

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,

अपर मुख्य सचिव,

उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।

2. समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उ0प्र0।

पंचायती राज अनुभाग-3 लखनऊ दिनांक: 29 अप्रैल, 2021

विषयः ग्राम पंचायतों में कोविड-19 से संक्रमित व्यक्ति के मृत्यु होने पर अंतिम संस्कार किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-1075/33-1-2020-3003/2017 दिनांक 02.06.2020 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में मृत व्यक्तियों के अंत्येष्टि हेतु उस परिवार के व्यस्क सदस्य को रु. 5,000/- दिए जाने के निर्देश दिए गए हैं।

वर्तमान में कोविड-19 संक्रमण से कतिपय व्यक्तियों की मृत्यु हो रही है। शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त कोविड-19 से संक्रमित व्यक्तियों के मृत होने पर उनके शवों के क्रियाकर्म/अंत्येष्टि (क्रिमिनेशन) हेतु निम्नवत निर्देश दिए जा रहे हैं:-

1. ग्राम पंचायतों में सामान्य रूप से मृत व्यक्तियों का जिस स्थान पर अंत्येष्टि आदि सम्पन्न किए जाते हैं, उक्त स्थान से कुछ दूरी पर कोविड-19 से मृत व्यक्तियों के अंत्येष्टि हेतु स्थान चिन्हित कर लिया जाय। उक्त चिन्हित स्थान पर ही कोविड-19 से मृत व्यक्तियों का अंत्येष्टि/क्रियाकर्म कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

2. कोविड-19 से मृत व्यक्तियों के अंत्येष्टि/क्रियाकर्म करने वाले व्यक्ति को कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना होगा, जैसे-पी.पी.किट, हैण्ड ग्लव्स, मास्क आदि पहनकर ही उसके द्वारा अंतिम संस्कार किया जायेगा।

3. कोविड-19 के संक्रमण से हुई मृत्यु की दशा में अंतिम क्रिया के लिए तत्काल सहायता धनराशि रु0 5,000/- प्रदान की जाए। यदि इस प्रकार से कोविड संक्रमण से मृत्यु जिसमें परिवारजन अंतिम संस्कार में सहयोग न कर पा रहे हों तो ग्राम पंचायत उक्त रु. 5,000/- की धनराशि का उपयोग शव का दाह संस्कार पर करेगी। यह ध्यान में रखा जाए कि कोविड-19 से मृत व्यक्ति का आर्थिक कारणों से अंतिम क्रिया किसी भी दशा में प्रभावित न होने पाए।

4. उक्त कार्य में धनराशि पंचम राज्य वित्त आयोग से व्यय की जा सकती है।

5. उक्त कार्यवाही के लिए सचिव, ग्राम पंचायत, सहायक विकास अधिकारी(पं0), ग्राम पंचायत के प्रशासक के दायित्वों का निर्वहन करने वाले अधिकारी एवं जिला पंचायत राज अधिकारी जिम्मेदार होंगे।

6. इस प्रकार से सहायता प्राप्त करने वाले परिवारों का रिकार्ड पंचायत द्वारा रखा जाएगा एवं संकलित सूचना सहायक विकास अधिकारी (पं0) के माध्यम से जिला पंचायत राज अधिकारी एवं आवश्यकतानुसार निदेशक, पंचायती राज उ0प्र0 को प्रेषित की जाएगी।

इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्तानुसार कोविड-19 से मृत व्यक्तियों के अंतिम संस्कार के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

29.4.21

(मनोज कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या एवं दिनांकः- तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित्।

1. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उ0प्र0।
2. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव-राजस्व, राहत, ग्राम्य विकास, शिक्षा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास, गृह एवं गोपन, उ0प्र0 शासन।
3. विशेष सचिव एवं स्टाफ आफीसर, मुख्य सचिव एवं कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0शासन।
4. निदेशक, पंचायती राज एवं मिशन निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन(ग्रा0), उ0प्र0।
5. समस्त मंडलायुक्त, उ0प्र0।
6. समस्त मंडलीय उपनिदेशक, पं0, उ0प्र0।
7. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0।
8. समस्त अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, उ0प्र0।
9. समस्त खण्ड विकास अधिकारी एवं सहायक विकास अधिकारी-पं., उ0प्र0।
10. समस्त ग्राम पंचायत पदाधिकारीगण, उ0प्र0।

आज्ञा से,

(मनोज कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव।

शासनादेश संख्या–UO23 / 33–3–2021–UO / 2021 दिनांक 29.04.2021 के क्रम में जनपदों द्वारा विभाग के निर्वाचन पोर्टल पर कोविड–19 महामारी के दौर में मृतकों एवं उनको ग्राम पंचायत द्वारा प्रदान की गई सहायता धनराशि की सूचना

जनपद का नाम	जनपद के ग्रामीण क्षेत्र में मृतकों के लिये वित्तीय सहायता हेतु कुल आवेदन	अपात्र आवेदन	वित्तीय सहायता प्रदान किये गये मृतकों की संख्या
1	2	3	4
AGRA	9	8	1
ALIGARH	5		5
AMBEDKAR NAGAR	32	18	14
AMETHI	8	2	6
AMROHA	13	11	2
AURAIYA	6		6
AYODHYA	16	1	15
AZAMGARH	9		9
BAGHPAT	4		4
BAHRAICH	1		1
BALLIA	21	20	1
BALRAMPUR	5		5
BANDA	9	1	8
BARABANKI	2		2
BAREILLY	223	216	7
BASTI	8		8
BHADOHI	9		9
BIJNOR	13		13
BUDAUN	5		5
BULANDSHAHR	27	26	1
CHANDAULI	25	14	11
CHITRAKOOT	2		2
DEORIA	3		3
ETAH	4		4
ETAWAH	8		8
FARRUKHABAD	5	2	3
FIROZABAD	4		4
GAUTAM BUDDHA NAGAR	4	4	
GHAZIABAD	1		1
GHAZIPUR	3		3
GONDA	4		4
GORAKHPUR	15		15
HAMIRPUR	2	1	1
HAPUR	25	25	
HARDOI	44	21	23
HATHRAS	21	10	11
JALAUN	11		11
JAUNPUR	7	1	6
JHANSI	1		1

12

जनपद का नाम	जनपद के ग्रामीण क्षेत्र में मृतकों के लिये वित्तीय सहायता हेतु कुल आवेदन	अपात्र आवेदन	वित्तीय सहायता प्रदान किये गये मृतकों की संख्या
1	2	3	4
KANPUR DEHAT	24	5	19
KANPUR NAGAR	4		4
KASGANJ	11		11
KAUSHAMBI	2		2
KHERI	24	19	5
KUSHI NAGAR	4		4
LALITPUR	10		10
LUCKNOW	19	14	5
MAHARAJGANJ	43	42	1
MAHOBA	19	5	14
MAINPURI	12		12
MATHURA	1		1
MAU	3		3
MEERUT	15	2	13
MIRZAPUR	8		8
MUZAFFARNAGAR	31		31
PILIBHIT	21		21
PRATAPGARH	5		5
PRAYAGRAJ	23	2	21
RAE BARELI	69	66	3
RAMPUR	9		9
SAHARANPUR	7		7
SAMBHAL	1		1
SANT KABEER NAGAR	18	7	11
SHAMLI	4	2	2
SHRAVASTI	12	7	5
SIDDHARTH NAGAR	5		5
SITAPUR	44	41	3
SONBHADRA	13		13
SULTANPUR	2		2
UNNAO	63	15	48
VARANASI	86	8	78
कुल योग	**1230**	**616**	**614**

संलग्नक-3

ANNEXURE-4

महत्वपूर्ण/समयबद्ध
संख्या - 882/9-7-2021-11(ज)/2020

प्रेषक,

मा0 रजनीश दुबे,
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

(1)निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0प्र0 लखनऊ।
(2)समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
(3)समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम, उ0प्र0।
(4)समस्त अधिशासी अधिकारी, न0पा0परि0/न0पं0, उ0प्र0।

<u>नगर विकास अनुभाग-7</u> <u>लखनऊ : दिनांक: 14 मई 2021</u>

विषयः नगरीय क्षेत्रों में शवों को नदियों में प्रवाहित करने से रोके जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्र संख्या– एच0 61807/सी0–2/गंगा/2021, दिनांक 13.05.2021 तथा अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या–1004/एसीएस/2021, दिनांक 14.05.2021 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिनके द्वारा नदियों में शवों के बहाये जाने से रोकने हेतु प्रभावी कार्यवाही करने की अपेक्षा की गयी है।

2. इस संबंध में शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि पर्यावरण हित में नगरीय निकायों में हो रही मृत्यु के पश्चात् उनका अंतिम संस्कार विहित परम्परा यथा जलाने/दफनाने के अनुसार ही किया जाय, किसी भी स्थिति में शवों को न तो जल में प्रवाहित किया जाय और न ही जल समाधि दी जाय। उपर्युक्त व्यवस्था के कियान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु समस्त नागर निकायों में निम्नवत समिति का गठन किया जाता है :–

नगर निगमों में		नगर पालिका परिषदों/नगर पंचायतों में	
मा0 महापौर–	अध्यक्ष	मा0 अध्यक्ष, न0पा0परि0/न0पं0–	अध्यक्ष
नगर आयुक्त–	संयोजक सचिव	अधिशासी अधिकारी–	संयोजक सचिव
उपाध्यक्ष कार्यकारिणी समिति–	सदस्य	सिविल अभियन्ता(सहायक/अवर)–	सदस्य
मुख्य अभियन्ता सिविल/विद्युत यांत्रिक–	सदस्य	सफाई एवं खाद्य निरीक्षक संवर्ग का वरिष्ठ अधिकारी –	सदस्य
नगर स्वास्थ्य अधिकारी–	सदस्य		
मा0 महापौर द्वारा नामित 10 पार्षदगण–	सदस्य	मा0 अध्यक्ष द्वारा नामित 10 पार्षदगण–	सदस्य

3. समिति द्वारा अपने नगरीय निकायों में निगरानी करते हुये यह सुनिश्चित कराया जायेगा कि निकाय के अन्तर्गत किसी भी स्थिति में शवों को न तो जल में प्रवाहित किया जाय और न ही जल समाधि दी जाय।

4. उक्त के कम में यह भी सूच्य है कि शासन के पत्र संख्या–536/9–7–2021–27 (ज)/2014 टी0सी0–1 दिनांक 07.05.2021 द्वारा कोविड–19 के संक्रमण के कारण हुयी मृत्यु की दशा में नगरीय निकायों की सीमान्तर्गत उपरोक्त शवों के अन्तिम संस्कार कोविड प्रोटोकॉल का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुये निःशुल्क कराये जाने के संबंध में निर्देश दिये गये हैं तथा यह सुनिश्चित किया गया है कि उक्त कार्यवाही हेतु होने वाला व्यय का वहन नगरीय निकायों द्वारा अपने स्वयं के

स्रोतों/राज्य वित्त आयोग की धनराशि से किया जा सकेगा। यह व्यय एक प्रकरण में अधिकतम रू0 5000/- तक होगा।

5. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया नगर आयुक्त/अधिशासी अधिकारी अपने निकाय के मा0 महापौर/मा0 अध्यक्ष को अवगत कराते हुये उपर्युक्तानुसार समिति का गठन दो दिवस के अंदर कर उक्त समिति की बैठक कराने एवं उक्त की सूचना दिनांक 18.05.2021 तक निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ (ई-मेल :- diruplb2020@gmail.com) को अवश्य उपलब्ध कराने का कष्ट करें। नगर आयुक्तगण उक्त सूचना शासन को भी (ई-मेल :-so.nagarvikas@gmail.com) उपलब्ध करायेंगे। निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0प्र0 लखनऊ समस्त नगरीय निकायों से प्राप्त उक्त सूचना को संकलित कर शासन को दिनांक 18.05.2021 को उपलब्ध करायेंगे।

कृपया उपरोक्त कार्यवाही प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण कर ली जाय, लापरवाही या क़दाशयता की स्थिति में संबंधित नगर आयुक्त/अधिशासी अधिकारी, व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।

संलग्नक:यथोक्त।

भवदीय,

(डा0 रजनीश दुबे)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित:-

1. स्टाफ अधिकारी, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
2. अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड।

आज्ञा से,

(डा0 इंद्रमणि त्रिपाठी)
विशेष सचिव।
14.5.21

15

अंके।-पृ. -4

ANNEXURE-5

कार्यालय
अपर मुख्य सचिव, गृह, गोपन, वीजा, पासपोर्ट, कारागार एवं सतर्कता विभाग
उत्तर प्रदेश शासन
509, सी–ब्लाक लोक भवन, लखनऊ।

प0सं0: 1004 /एसीएस/2021 दिनांक: 14 मई, 2021

पुलिस महानिदेशक, उ.प्र.

समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश को सम्बोधित कोविड–19 महामारी के दौरान उत्तर प्रदेश में शवों को गंगा एवं यमुना नदी में बहाये जाने से रोके जाने विषयक उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्र संख्या एच61807/सी–2/गंगा/2021 दिनांक 13.05.2021 (प्रतिलिपि संलग्न) एवं जनपदों से प्राप्त आख्या का सन्दर्भ लेने का कष्ट करें।

कृपया आज टीम–9 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार पी.ए.सी. की समस्त जल पुलिस कम्पनियों एवं एस.डी.आर.एफ. की टीम को आज ही गंगा नदी/यमुना नदी एवं इसकी सहायक नदियों के किनारे इस प्रकार तैनात करें जिससे कि इन नदियों में बिना अंत्येष्टि के शवों को बहाये जाने की कोई कार्यवाही न हो सके एवं यदि नदी में शव पाये जाते हैं तो उनको तत्काल चिन्हित करके सम्मानजनक निस्तारण करने की कार्यवाही भी सुनिश्चित की जा सके।

संलग्नक: यथोक्त।

14.05.2021
(अवनीश कुमार अवस्थी)
अपर मुख्य सचिव
गृह, गोपन, वीजा पासपोर्ट
कारागार एवं सतर्कता विभाग
उत्तर प्रदेश शासन

प्रतिलिपि:–

1. अपर मुख्य सचिव, पंचायती राज/नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को टीम–9 की बैठक के कम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. अपर पुलिस महानिदेशक, पी.ए.सी., उत्तर प्रदेश।
3. सदस्य सचिव, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

14.05.2021
(अवनीश कुमार अवस्थी)
अपर मुख्य सचिव
गृह, गोपन, वीजा पासपोर्ट
कारागार एवं सतर्कता विभाग
उत्तर प्रदेश शासन

PRAROOP-2

ANNEXURE-6

S.NO	ZONE	DISTT/ COMM	INCIDENT RELATED TO VIOLATION OF THE GUIDELINES FOR MANAGEMENT OF DEAD BODIES COVID INFECTED OR OTHERWISE.					REGISTERED CRIMINAL CASES AND ANY PROSECUTION WAS LAUNCHED				
			2018	2019	2020	2021	2022 (TILL 31-03-2022)	2018	2019	2020	2021	2022 (TILL 31-03-2022)
1	AGRA	1-Mathura	-	-	-	-	-	-	-	01	04	01
		2- ETHA	-	-	-	-	-	02	-	01	04	01
2	Bareilly	3-Budaun	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4-Shanhjahanpur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Merrut	5-Hapur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Lucknow	6-Raebareli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	PRAYGRAJ	7-Pratapgarh	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-
6	Varanasi	8-Varanasi Rural	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		9-Chandaulli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		10-Ghazipur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		11-Balliya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		12-Badhohi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Varanasi	Commissionerate	-	-	01	-	-	-	-	01	-	-
TOTAL			-	-	01	01	-	02	-	03	08	02

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No. ....। /सी.–6/सा0–679/ओ.ए. 262/2022/संजय शर्मा/2022 Dated ....

सेवा में,

उप सचिव,
गृह (गोपन) अनुभाग–3,
उ0प्र0 शासन, लखनऊ।

विषयः माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 संख्या 262/2022 संजय शर्मा बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 10.05.2022 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक गृह (गोपन) अनुभाग–3 के पत्र संख्या 1150(1)/2022–सी0एक्स0–3 दिनांक 28.07.2022 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 संख्या 262/2022 संजय शर्मा बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 10.05.2022 में बिन्दु संख्या -V के सम्बन्ध में वांछित आख्या संलग्न कर प्रेषित है।

भवदीय,

संलग्नक :–यथोपरि।

(अजय कुमार शर्मा)
सदस्य सचिव

प्रतिलिपिः अनु सचिव, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–7, उ0प्र0 शासन, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।

सदस्य सचिव

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.com - Web Site: www.uppcb.com

COVID 19 Bio-Medical Wastein U.P.

- From 25.04.2020 to 30.06.2022 the 5321.36 MT COVID-19 Bio Medical Waste is generated and disposed by 22 Nos CBWTFs as per the BMW Rules and CPCB guidelines.
- Less than 01 MTD COVID-19 BMW is generated daily from the different generators.
- 22 CBWTFs are engaged for COVID-19 BMW management and cumulative incinerable capacity of them is 94.4 MT/day.
- At present Non COVID incinerable BMW is generated approx 18 MT/day.
- Total demand capacity for incineration of COVID and Non COVID BMW is approximately 19 MT/day, which is less then total incineration capacity of all the CBWTFs.
- The marginal capacity is available 75.4 MT/day.
- For Emergency Preparedness-Existing capacity of HW incinerator is 68 MT/day.
  - 18 MT Hazardous Waste is being incinerated in HW incinerator. Hence the margin capacity 50 MT is also available.
  - Inter departmental committee was constituted vide UPPCB, OM dated 16.07.2020, for preparedness of Hazardous Waste Incinerator of UP to incinerate COVID 19 BMW.
  - Said Committee has submitted its report to UPPCB. Recommendation of said committee with report has been sent to Environment Forest and Climate Change Department, Govt. of U.P. vide UPPCB letter dated 14.08.2020.
- Directions issued by Chief Secretary to all stake holders vide letter dt. 09.02.2021 for effective implementation of Hon'ble NGT order dated 18.01.2021 in O.A. No. 72/2020.
- Central Pollution Control Board has developed the COVID 19 waste management tracking android/web application which named as "COVID19BWM" in which all waste handlers (CBWTF) are registered and daily uploading the COVID 19 BMW data.
- For registration of all waste generators on COVID 19 BWM mobile application,
  - The direction under section-5 of Environment (Protection) Act, 1986 has been issued to DG, Medical & Health, UP and DG, Medical Education & Training, UP vide office letter dated: 14.08.2020& 06.04.2021.
  - The direction under section-5 of Environment (Protection) Act, 1986 has been issued to All CEOs, Noida/Greater Noida/Yamuna Expressway –Industrial development Authority & All Municipal Commissioners of UP vide office letter dated: 26.08.2020& 06.04.2021.
- So far No violation of environmental norms has been observed during handling and treatment of COVID 19 Bio Medical Waste.

(SA) (A.S.O) CEO.

ANNEXURE-8

Action plan for treatment and prevention of 19 pandemic in the state

उपचार सुविधाओं की उपलब्धता :

- **कोविड बेड्स की उपलब्धता :** वर्तमान मे प्रदेश के समस्त जनपदों में पर्याप्त संख्या में ऑक्सीजन तथा वेंटिलेटर की सुविधा युक्त बेड्स उपलब्ध।
- वर्तमान में स्थापित कोविड बेड को पूर्णतः क्रियाशील रखा गया है।
- **प्रदेश के प्रत्येक जनपद में 4 ब्लाक स्तरीय चिकित्सालयों में 10 पीडियाट्रिक कोविड बेड्स की स्थापना की गयी है।**
- **वेंटीलेटर्स :** राज्य में राजकीय, स्व-शासित व निजी मेडिकल कालेजों व राजकीय चिकित्सालयों में कुल 6,818 वेंटीलेटर्स उपलब्ध है।
- **ऑक्सीजन उपलब्धता :** प्रदेश में स्थापित हो रहे 564 ऑक्सीजन उत्पादन प्लांटस् में से 561 कियाशील हैं।
- **ऑक्सीजन कन्सनट्रेटर्स :** प्रदेश में पी0एम0 केअर्स के अन्तर्गत 16,677, स्वयं के स्रोतों से 16,550 एवं सी0एस0आर0 के अन्तर्गत 10,034 (कुल 43,261) ऑक्सीजन कन्सनट्रेटर्स प्राप्त हुए है, जिन्हें प्रदेश के विभिन्न चिकित्सालयों में उपलब्ध कराया गया है।
- **औषधियाँ एवं अन्य लोजिस्टिक्स :** प्रदेश में कोविड -19 रोग के प्रबंधन हेतु समस्त आवश्यक औपधियाँ एवं लोजिस्टिक्स पर्याप्त मात्र में उपलब्ध हैं।
- **माक ड्रिल तथा फुल रिहर्सल :** कोविड उपचार इकाइयों की निरन्तर गुणवत्तापरक क्रियाशीलता सुनिश्चित किए जाने हेतु प्रदेश की कोविड उपचार इकाइयों में राज्य स्तरीय नोडल अधिकारियों तथा डब्लू0एच0ओ के अधिकारियों की निगरानी में अभी तक 4 माक ड्रिल तथा 5 फुल रिहर्सल सम्पन्न किया जा चुके हैं, माह अगस्त 2022 मे दिनाँक 20.21 अगस्त को फुल रिहर्सल किया गया है।

प्रशिक्षण गतिविधियाँ :

- **पीडियाट्रिक ड्रग एंड वेंटीलेटर मैनेजमेंट प्रशिक्षण :**
  - **बाल रोग विशेषज्ञों , चिकित्सा अधिकारियों तथा स्टाफ नर्सेज का प्रशिक्षण :** चिकित्सा शिक्षा विभाग के सहयोग से प्रदेश के समस्त बाल रोग विशपज्ञों , प्रत्येक लेवल-2 चिकित्सालय से 2 चिकित्सकों तथा 4 स्टाफ नर्सेज एवं ब्लाक स्तरीय चिकित्सालय से 1 चिकित्सक तथा 2 स्टाफ नर्सेज के प्रशिक्षण के अनेक चरण पूर्ण
  - प्रदेश मे 300 मास्टर ट्रेनर्स, 800 बाल रोग विशेपज्ञों / चिकित्सकों एवं 1500 स्टाफ नर्सेज पूर्ण प्रशिक्षित।
- **पीडियाट्रिक स्किल्स प्रशिक्षण :** स्किल्स लैब, शासकीय चिकित्सालय, नोयडा एवं स्टेट इंस्टिट्यूट ऑफ हेल्थ एंड फॅमिली वेलफेयर, लखनऊ में कुल 14 बैच का प्रशिक्षण पूर्ण।
- **कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स का प्रशिक्षण :** राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एवम किंग जॉर्ज मीडियल यूनिवर्सिटी, लखनऊ के सहयोग से 867 कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स तथा 162 मेंटर चिकित्सा अधिकारी प्रशिक्षित।
- समस्त 75 जनपदों में चिकित्सकों एवं स्टाफ नर्सेज का प्रशिक्षण पूर्ण।

वायरल जीनोम सीक्वेंसिंग : वर्तमान में प्रदेश में किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी ,मेडिकल रिसर्च यूनिट , बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी, सीडीआरआई लखनऊ एन बी आर आई लखनऊ में होल जीनोम सीक्वन्सिंग की सुविधा उपलब्ध ळें

निरोधात्मक तथा बचाव हेतु गतिविधियाँ :

कोविड–19 रोग से बचाव के संदेशों को जन सामान्य तक पहुंचाने के लिए फ्रंटलाइन वर्कर्स, यथा आशा कार्यकर्ता एएनएम, आंगनबाड़ी इत्यादि का अनेक चरणों में पूरे प्रदेश में प्रशिक्षण संपादित किया जा चुका है।

बचाव गतिविधियों में जनसामान्य की सहभागिता सुनिश्चित करने हेतु प्रदेश में 70,000 से अधिक निगरानी समितियां गठित की गई है।

माह अप्रैल तथा जुलाई, 2022 में प्रदेश भर में संपादित दस्तक अभियान; जिसके अंतर्गत प्रशिक्षित फ्रंटलाइन वर्कर्स घर घर जाकर विभिन्न रोगों के विपय में जनसामान्य को का संवेदीकरण करते हैं; में कोविड–19 की रोकथाम तथा टीकाकरण संबंधी संदेशों को भी सम्मिलित करते हुये पूरे प्रदेश में जनसामान्य को उक्त के विपय में पुनर्संवेदित किया गया।

ANNEXURE-9

प्रेषक,

महानिदेशक,
परिवार कल्याण
उ0प्र0 लखनऊ।

सेवा में,

डा0 मन्नान अख्तर,
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

चिकित्सा अनुभाग–5

पत्रांक अ0नि0 / यू0आई0पी0 / कैम्प / 2022–23 / 2892, दिनांक 22 अगस्त, 2022

विषयः मा0 राष्ट्रीय अधिकरण नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 संख्या–262 / 2022 संजय शर्मा बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में दिनांक 10.05.2022 को पारित आदेश के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या–1291 / पाँच–5–2022 दिनांक 22 अगस्त, 2022 के क्रम उपलब्ध सूचना निम्न प्रकार से है:-

1. भारत सरकार के दिशा–निर्देशानुसार प्रदेश मे 12 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लक्षित लाभार्थियों का कोविड वैक्सीनेशन किया जा रहा है।
2. दिनांक 21 अगस्त, 2022 तक कुल लक्षित 169902000 लाभार्थियों के सापेक्ष कुल 167076574 लाभार्थियों को दोनो डोज वैक्सीन दी जा चुकी है।
3. भारत सरकार द्वारा कोविड वैक्सीनेशन हेतु उपलब्ध कोविन पोर्टल पर शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों हेतु अलग–अलग डाटा उपलब्ध नहीं है।

सूचना सादर प्रेषित।

भवदीय,

संयुक्त निदेशक, आर0आई0
परिवार कल्याण महानिदेशालय।

पत्रांकः अ0नि0 / यू0आई0पी0 / कैम्प / 2022–23 / दिनांकित।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, स्वास्थ्य भवन, उ0प्र0 लखनऊ।
2. राज्य सर्विलान्स अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ।
3. अनुभाग अधिकारी, चिकित्सा अनुभाग-9।

संयुक्त निदेशक, आर0आई0
परिवार कल्याण महानिदेशालय।

ANNEXURE-10

Action plan for treatment and prevention of 19 pandemic in the state

1. **Availability of treatment facilities:**

- **Availability of COVID Beds:**
  - At present, adequate number of beds with oxygen and ventilator facilities are available in all the districts of the state.
  - The presently established covid bed has been kept fully functional.
  - 10 Pediatric COVID beds have been established in 4 block level hospitals in each district of the state.
  - **Ventilators:** A total of 6,818 ventilators are available in government, self-governing and private medical colleges and government hospitals in the state.
- **Oxygen Availability:** Out of 564 oxygen production plants being established in the state, 561 are functional.
- **Oxygen concentrators:** 16,677 oxygen concentrators have been received under PM Cares, 16,550 from own sources and 10,034 (total 43,261) under CSR, which have been made available in various hospitals of the state.
- **Medicines and other logistics:** All necessary medicines and logistics are available in sufficient quantity for the management of COVID-19 disease in the state.
- **Mock drills and full rehearsals:** To ensure continuous and optimum functioning of COVID treatment units, till date, 4 mock drills and 5 full rehearsals have been conducted in COVID treatment facilities of the state under the supervision of state level nodal officers and WHO officials. In the month of August 2022, supervised full rehearsal has been conducted on August 20-21.

2. **Training Activities:**

- **Drug and Ventilator Management Training for Paediatric COVIOD care**
- **Training of Paediatricians, Medical Officers and Staff Nurses:** in collaboration with Medical Education Department, all Paediatricians, 2 MBBS Medical officers and 4 staff nurses from each level-2 hospital have completed multiple stages of training as have 1 doctor and 2 staff nurses from each of the block level COVID hospitals.

- 300 master trainers, 800 paediatricians / doctors and 1500 staff nurses are fully trained in the state.
- **Pediatric Skills Training:** 14 batches of training have been completed in Skills Labs at Government Hospital, Noida and State Institute of Health and Family Welfare, Lucknow.
- **Training of Community Health Officers:** In collaboration with National Health Mission and King George's Middle University, Lucknow, 867 Community Health Officers and 162 Mentor Medical Officers have been trained.
- **Training of doctors and staff nurses** : has been completed in all 75 districts.

3. Viral Genome Sequencing: Presently the facility of Whole Genome Sequencing (WGS) is available at King George's Medical University, Medical Research Unit, Banaras Hindu University, CDRI Lucknow NBRI Lucknow in the state.

4. Prevention and control activities:

- Training of frontline workers, such as ASHA workers, ANMs, Anganwadi etc. has been conducted across the state in several phases to spread the message of prevention against COVID-19 disease among the general public.
- More than 70,000 Nigrani Samitis have been constituted in the state to ensure public participation in COVID prevention activities and ensuring COVID appropriate behaviour .
- Dastak campaign has been conducted across the state in the months of April and July 2022. Under this campaign, trained Frontline workers go door to door to sensitize the general public about various diseases, Including the messages related to prevention and vaccination of COVID-19, the general public was re-sensitized about the preventive behaviour in the entire state.

22.8.22

- 300 master trainers, 800 paediatricians / doctors and 1500 staff nurses are fully trained in the state.
- **Pediatric Skills Training:** 14 batches of training have been completed in Skills Labs at Government Hospital, Noida and State Institute of Health and Family Welfare, Lucknow.
- **Training of Community Health Officers:** In collaboration with National Health Mission and King George's Middle University, Lucknow, 867 Community Health Officers and 162 Mentor Medical Officers have been trained.
- **Training of doctors and staff nurses** : has been completed in all 75 districts.

3. <u>Viral Genome Sequencing:</u> Presently the facility of Whole Genome Sequencing (WGS) is available at King George's Medical University, Medical Research Unit, Banaras Hindu University, CDRI Lucknow NBRI Lucknow in the state.

4. <u>Prevention and control activities:</u>

- Training of frontline workers, such as ASHA workers, ANMs, Anganwadi etc. has been conducted across the state in several phases to spread the message of prevention against COVID-19 disease among the general public.
- More than 70,000 Nigrani Samitis have been constituted in the state to ensure public participation in COVID prevention activities and ensuring COVID appropriate behaviour .
- Dastak campaign has been conducted across the state in the months of April and July 2022. Under this campaign, trained Frontline workers go door to door to sensitize the general public about various diseases, Including the messages related to prevention and vaccination of COVID-19, the general public was re-sensitized about the preventive behaviour in the entire state.

22.8.22

उत्तर प्रदेश में कोविड प्रबंधन एवं बचाव हेतु कार्ययोजना

उपचार सुविधाओं की उपलब्धता :

- **कोविड बेड्स की उपलब्धता :** वर्तमान मे प्रदेश के समस्त जनपदों में पर्याप्त संख्या में ऑक्सीजन तथा वेंटिलेटर की सुविधा युक्त बेड्स उपलब्ध।
- वर्तमान में स्थापित कोविड बेड को पूर्णतः क्रियाशील रखा गया है।
- **प्रदेश के प्रत्येक जनपद में 4 ब्लाक स्तरीय चिकित्सालयों में 10 पीडियाट्रिक कोविड बेड्स की स्थापना की गयी है।**
- **वेंटीलेटर्स** : राज्य में राजकीय, स्व–शासित व निजी मेडिकल कालेजों व राजकीय चिकित्सालयों में कुल 6,818 वेंटीलेटर्स उपलब्ध है।
- **ऑक्सीजन उपलब्धता** : प्रदेश में स्थापित हो रहे 564 ऑक्सीजन उत्पादन प्लांटस् में से 561 कियाशील हैं।
- **ऑक्सीजन कन्सनट्रेटर्स** : प्रदेश में पी0एम0 केअर्स के अन्तर्गत 16,677, स्वयं के स्रोतों से 16,550 एवं सी0एस0आर0 के अन्तर्गत 10,034 (कुल 43,261) ऑक्सीजन कन्सनट्रेटर्स प्राप्त हुए है, जिन्हें प्रदेश के विभिन्न चिकित्सालयों में उपलब्ध कराया गया है।
- **औषधियाँ एवं अन्य लोजिस्टिक्स :** प्रदेश में कोविड –19 रोग के प्रबंधन हेतु समस्त आवश्यक औषधियाँ एवं लोजिस्टिक्स पर्याप्त मात्र में उपलब्ध हैं।
- **माक ड्रिल तथा फुल रिहर्सल :** कोविड उपचार इकाइयों की निरन्तर गुणवत्तापरक क्रियाशीलता सुनिश्चित किए जाने हेतु प्रदेश की कोविड उपचार इकाइयों में राज्य स्तरीय नोडल अधिकारियों तथा डब्लू0एच0ओ के अधिकारियों की निगरानी में अभी तक 4 माक ड्रिल तथा 5 फुल रिहर्सल सम्पन्न किया जा चुके हैं, माह अगस्त 2022 मे दिनाँक 20.21 अगस्त को फुल रिहर्सल किया गया है।

प्रशिक्षण गतिविधियाँ :

- पीडियाट्रिक ड्रग एंड वेंटीलेटर मैनेजमेंट प्रशिक्षण :
  - **बाल रोग विशेषज्ञों , चिकित्सा अधिकारियों तथा स्टाफ नर्सेज का प्रशिक्षण :** चिकित्सा शिक्षा विभाग के सहयोग से प्रदेश के समस्त बाल रोग विशषज्ञों , प्रत्येक लेवल–2 चिकित्सालय से 2 चिकित्सकों तथा 4 स्टाफ नर्सेज एवं ब्लाक स्तरीय चिकित्सालय से 1 चिकित्सक तथा 2 स्टाफ नर्सेज के प्रशिक्षण के अनेक चरण पूर्ण
  - प्रदेश मे 300 मास्टर ट्रेनर्स, 800 बाल रोग विशेषज्ञों / चिकित्सकों एवं 1500 स्टाफ नर्सेज पूर्ण प्रशिक्षित।
- पीडियाट्रिक स्किल्स प्रशिक्षण : स्किल्स लैब, शासकीय चिकित्सालय, नोयडा एवं स्टेट इंस्टिट्यूट ऑफ हेल्थ एंड फॅमिली वेलफेयर, लखनऊ में कुल 14 बैच का प्रशिक्षण पूर्ण।
- कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स का प्रशिक्षण : राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एवम किंग जॉर्ज मीडियल यूनिवर्सिटी, लखनऊ के सहयोग से 867 कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स तथा 162 मेंटर चिकित्सा अधिकारी प्रशिक्षित।
- समस्त 75 जनपदों में चिकित्सकों एवं स्टाफ नर्सेज का प्रशिक्षण पूर्ण।

<u>वायरल जीनोम सीक्वेंसिंग</u> : वर्तमान में प्रदेश में किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी ,मेडिकल रिसर्च यूनिट , बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी, सीडीआरआई लखनऊ एन बी आर आई लखनऊ में होल जीनोम सीक्वन्सिंग की सुविधा उपलब्ध ळें

निरोधात्मक तथा बचाव हेतु गतिविधियाँ :

कोविड–19 रोग से बचाव के संदेशों को जन सामान्य तक पहुंचाने के लिए फ्रंटलाइन वर्कर्स, यथा आशा कार्यकर्ता एएनएम, आंगनबाड़ी इत्यादि का अनेक चरणों में पूरे प्रदेश में प्रशिक्षण संपादित किया जा चुका है।

बचाव गतिविधियों में जनसामान्य की सहभागिता सुनिश्चित करने हेतु प्रदेश में 70,000 से अधिक निगरानी समितियां गठित की गई है।

माह अप्रैल तथा जुलाई, 2022 में प्रदेश भर में संपादित दस्तक अभियान; जिसके अंतर्गत प्रशिक्षित फ्रंटलाइन वर्कर्स घर घर जाकर विभिन्न रोगों के विषय में जनसामान्य को का संवेदीकरण करते हैं; में कोविड–19 की रोकथाम तथा टीकाकरण संबंधी संदेशों को भी सम्मिलित करते हुये पूरे प्रदेश में जनसामान्य को उक्त के विषय में पुनर्संवेदित किया गया।

22.8.22